न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
29 / 2022	26.05.2022	25/11/2022

बउनवान :–

01. सोनदेई पत्नि श्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बन्धडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: प्रार्थी

ब ना म

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तिजारा (राज0)

——:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 397 / 639 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम बन्धडा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीयां का मौके पर वास्तविक कब्जा है। प्रार्थीयां के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन दरामद हो रहा है। प्रार्थीयां की आराजी के साथ लगती हुई आराजी के खातेदारान प्रार्थीयां की भूमि में घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते है। जिस पर प्रार्थीयां ने तहसीलदार तिजारा के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर मौका पर्चा व पैमाईश कराने का निवेदन किया। तहसीलदार तिजारा के आदेश पर दिनांक 23.06.2021 को हल्का पटवारी व कानूनगों ने प्रार्थीया एवं मौजूदा व्यक्तियों की मौजूदगी में आराजी 397 / 639 रकबा 1.26 हैक्टर की पैमाईश आराजी खसरा नम्बर 551 गैर मुमकिन को मुतकिल प्वाइंट मानते हुए लम्बाई में चैन चलाई गई तथा खसरा नम्बर 340 व 341 के मध्य की डौल को कायम करते हुए. चैन चलाकर पैमाईश की गई। प्रार्थी सीमाज्ञान से सन्तुष्ट है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासीयों को मौका पर्चा पढकर सुनाया गया व उपस्थित ग्रामवासीयों के हस्ताक्षर करवाए जो मौका पर्चा (पैमाईश) दिनांक 23.06.2021 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उसके बावजूद भी प्रार्थीयां की आराजी के साथ लगती हुई आराजी के खातेदार प्रार्थीयां की डौल़ को मिसमार कर अपनी आराजी में मिलाने पर उतारू है व झगडा फिसाद पर आमादा रहते है। इसलिए मौका पर्चा दिनांक 23.06.2021 के अनुसार भूमि की सुरक्षा के लिए पत्थर गढी कराया जाना नितान्त आवश्यक व न्यायसंगत है। मिन प्रार्थीयां के द्वारा उक्त आराजी का पेशकर्दा नवशा ट्रैस से जाहिर है कि उक्त आराजी की भू अभिलेख की गठित टीम द्वारा ही आराजी की पत्थरगढी सही हो सकती है। जिससे किसी भी प्रकार को कोई अजहद नहीं होगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा पैमाईश रिपोर्ट [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

दिनांक 25/11 ....को पेश हो।

23.06.2021 के अनुसार भू अभिलेख की टीम गठित करके आराजी खसरा नम्बर 397/639 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम बन्धड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार तहसीलदार तिजारा को नोटिस जारी किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 23.06.2021 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 397/639 रकबा 1.26 हे0 वाके ग्राम बन्धड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर से लगती हुई आराजी के खातेदारो को सुनकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)